

## संवधान दविस 2024

### प्रलमिस के लयि:

संवधान दविस, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, 26/11 मुंबई हमले, अनुच्छेद 370, सरोजिनी नायडू, संवधान की मूल संरचना, नजिता का अधिकार, मौलिक अधिकार, राज्य नीतिके नदिशक सदिधांत, परसतावना

### मेन्स के लयि:

संवधान और उसका वकिस, भारतीय संवधान पर वैश्विक प्रभाव, भारतीय संवधान का परारूपण, भारत के संवधान की मुख्य वशिषताएँ

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

### चर्चा में क्यो?

संवधान दविस, 26 नवंबर 2024 को, भारत के प्रधानमंत्री ने भारतीय संवधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने पर [भारत के सर्वोच्च न्यायालय](#) द्वारा आयोजित समारोह में भाग लया। उन्होंने संवधान को सामाजिक-आर्थिक प्रगति और न्याय के लयि महत्त्वपूर्ण [जीवंत दसतावेज](#) बताया।

- इस अवसर पर [26/11 के मुंबई हमलों](#) के पीड़ितों को भी याद कया गया, तथा भारत की दृढता को रेखांकित कया गया।

### संवधान दविस क्या है?

- परचय:** 26 नवंबर 1949 को भारतीय संवधान को अपनाने की याद में संवधान दविस मनाया जाता है। यह भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का जश्न मनाता है और न्याय, [सुवतंत्रता](#), [समानता](#) और [बंधुत्व](#) के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है।
  - वर्ष 2015 में, [सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय](#) ने नागरिकों के संवधान के साथ एकीकरण को मजबूत करने के लयि 26 नवंबर को संवधान दविस के रूप में घोषित कया। वर्ष 2015 से पहले, 26 नवंबर को [राष्ट्रीय वधि दविस](#) के रूप में मनाया जाता था।
  - यह दिन संवधान का मसौदा तैयार करने में [संवधान सभा](#) के दृष्टिकोण और परारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में [डॉ. बी.आर. अंबेडकर](#) की महत्त्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है, जिसके कारण उन्हें ["भारतीय संवधान के जनक"](#) की उपाध मिली।
- संवधान दविस 2024 की मुख्य वशिषताएँ:**
  - जम्मू और कश्मीर में संवधान दविस समारोह: [वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370](#) को नरिस्त करने के बाद, 74 वर्षों में पहली बार जम्मू और कश्मीर ने संवधान दविस मनाया।
  - यह आयोजन केंद्र शासित प्रदेश के भारत के कानूनी और राजनीतिक ढाँचे के साथ संरेखण में एक नए अध्याय का प्रतीक है।
- हमारा संवधान, हमारा सम्मान:** श्रम और रोजगार मंत्री ने "हमारा संवधान, हमारा सम्मान" अभियान में भाग लया।
  - 24 जनवरी 2024 को शुरू कया गए "हमारा संवधान, हमारा सम्मान" अभियान का उद्देश्य नागरिकों में संवधान और भारतीय समाज को आकार देने में इसकी भूमिका के बारे में समझ को बढ़ावा देना है।
    - यह संवधानिक जागरूकता, वधिक अधिकारों और ज़मिंदारियों को बढ़ावा देने के क्रम में वर्ष भर चलने वाली पहल है।
  - इसके तहत क्षेत्रीय कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सेमिनारों के साथ-साथ [\[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\]\[?\], \[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\]\[?\]](#) (सभी के लयि न्याय), [\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\], \[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]](#) (नए भारत के लयि नया संकल्प) एवं [\[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]](#) (वधिक जागरूकता) जैसे उप-अभियान शामिल हैं।
  - यह अभियान वर्ष 2047 तक वकिसति राष्ट्र बनाने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- भारत की संवधान सभा की महिलाएँ:** [भारत के राष्ट्रपति](#) ने संवधान सभा में 15 महिला सदस्यों (जिनमें [सरोजिनी नायडू](#), [सुचेता कृपलानी](#) और [वजिय लक्ष्मी पंडति](#) शामिल हैं) के योगदान पर प्रकाश डाला है।
- अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैसकरीन, बेगम कुदसिया ऐजाज़ रसूल और दक्षिणायनी वेलायुधन जैसे कम-ज्जात सदस्यों को भी भारत के संवधान को आकार देने के क्रम में मान्यता दी गई।**
  - अम्मू स्वामीनाथन: केरल में वधिवाओं पर लगे सामाजिक प्रतिबंधों को देखने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश कया। [हदि कोड बलि](#) के माध्यम से लैंगिक समानता का समर्थन कया गया।
  - एनी मास्कारेन (1902-1963): उन्होंने जातवाद के वरीध के क्रम में [सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार](#) हेतु अभियान चलाया।



- **सामाजिक परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी:** भारत के संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो उसे सामाजिक परिवर्तनों के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं, जैसे कि हाशिये पर पड़े समुदायों की रक्षा करने एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने हेतु नए कानूनों को शामिल करना।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2003 के 89वें संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचि जनजात आयोग (NCST) को अनुच्छेद 338A के तहत एक संवैधानिक निकाय तथा **राष्ट्रीय अनुसूचि जाति आयोग (NCSC)** को अनुच्छेद 338 के तहत एक अलग संवैधानिक निकाय बना दिया गया, जिससे अधिक समावेशी समाज के निर्माण में उसकी भूमिका बढ़ गई।

## भारत के संविधान के बारे में मुख्य बटु क्या हैं?

- **संविधान सभा:** संविधान सभा को संविधान का मसौदा तैयार करने में लगभग तीन साल (2 साल, 11 महीने, 17 दिन) लगे। शुरु में, इसमें कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 प्रांतीय विधान सभाओं से, 93 रियासतों से और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चुने गए थे।
  - हालाँकि, वर्ष 1947 में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के बाद, पाकिस्तान के लिये एक अलग संविधान सभा का गठन किया गया, जिससे भारत की संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई।

### Important Committees of Constituent Assembly and Their Chairmen

S. No	Name of Committee	Chairman
1	Committee on the Rules of Procedure	Rajendra Prasad
2	Steering Committee	Rajendra Prasad
3	Finance and Staff Committee	Rajendra Prasad
4	Credential Committee	Alladi Krishnaswami Ayyar
5	House Committee	B. Pattabhi Sitaramayya
6	Order of Business Committee	K.M. Munshi
7	Ad hoc Committee on the National Flag	Rajendra Prasad
8	Committee on the Functions of the Constituent Assembly	G.V. Mavalankar

- **मूल संरचना (1949):** प्रारंभ में, इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद (22 भागों में विभाजित) और 8 अनुसूचियाँ शामिल थीं।
  - **वर्तमान संरचना:** इसमें वर्तमान में एक प्रस्तावना, 450 से अधिक अनुच्छेद (25 भागों में विभाजित) और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं।
- **संशोधन:** सितंबर 2024 तक, वर्ष 1950 में पहली बार अधिनियमित होने के बाद से भारत के संविधान में 106 संशोधन हुए हैं।
  - **लंबाई:** भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है।
    - इसके सुलेखक प्रेम बहारी नारायण रायजादा थे तथा इसके पृष्ठों को नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांतनिकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया गया था।
  - **वसित्तु आकार का कारण:** भारत के आकार और विविधता ने एक व्यापक संविधान को आवश्यक बना दिया है।
    - वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम, जो स्वयं एक व्यापक दस्तावेज़ था, के प्रभाव ने संविधान के आकार में योगदान दिया है।
    - भारत का एकल एकीकृत संविधान, जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को नियंत्रित करता है, जो इसके आकार को वसित्तु बनाता है।
    - कानूनी विशेषज्ञों के नेतृत्व में संविधान सभा ने एक ऐसा संविधान तैयार किया जो कानूनी और प्रशासनिक दोनों ही पहलुओं से संपूर्ण है, जिसमें मौलिक शासन सिद्धांतों के साथ-साथ वसित्तु प्रशासनिक प्रावधान भी शामिल हैं।
    - इसके अलावा संविधान विभिन्न वैश्विक स्रोतों से लिया गया है तथा इसके प्रावधान अमेरिकी, आयरिश, ब्रिटिश, कनाडाई, ऑस्ट्रेलियाई, जर्मन और अन्य संविधानों से प्रेरित हैं, जो इसके डिज़ाइन पर व्यापक अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को दर्शाते हैं।

# संविधान के स्रोत

## भारत शासन अधिनियम 1935

- ◇ संघीय तंत्र
- ◇ राज्यपाल का कार्यालय
- ◇ न्यायपालिका
- ◇ लोक सेवा आयोग
- ◇ आपातकालीन उपबंध
- ◇ प्रशासनिक विवरण



## संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान

- ◇ मूल अधिकार
- ◇ न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- ◇ न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत
- ◇ उप-राष्ट्रपति का पद
- ◇ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना
- ◇ राष्ट्रपति पर महाभियोग



## कनाडा का संविधान

- ◇ सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था
- ◇ अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना
- ◇ केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति
- ◇ सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन



## जर्मनी का वीमर संविधान

- ◇ आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन



## फ्रांस का संविधान

- ◇ गणतंत्रात्मक
- ◇ प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श



## ब्रिटेन का संविधान

- ◇ संसदीय शासन
- ◇ विधि का शासन
- ◇ विधायी प्रक्रिया
- ◇ एकल नागरिकता
- ◇ मंत्रिमंडल प्रणाली
- ◇ परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार तथा द्विसदनवाद



## आयरलैंड का संविधान

- ◇ राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत
- ◇ राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति
- ◇ राज्यसभा के लिये सदस्यों का नामांकन



## ऑस्ट्रेलिया का संविधान

- ◇ समवर्ती सूची
- ◇ व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
- ◇ संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक



## सोवियत संघ (पूर्ववर्ती) का संविधान

- ◇ मूल कर्तव्य
- ◇ प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक) का आदर्श



## दक्षिण अफ्रीका का संविधान

- ◇ संविधान में संशोधन की प्रक्रिया
- ◇ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन



## जापान का संविधान

- ◇ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया





प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन संवधान सभा की संघीय संवधान समति के अध्यक्ष थे? (2005)

- (a) बी.आर. अंबेडकर
- (b) जे.बी. कृपलानी
- (c) जवाहरलाल नेहरू
- (d) अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर

उत्तर: (c)

प्रश्न. भारतीय संवधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वतिरण नमिनलखिति में दी गई योजना पर आधारति है: (2012)

- (a) मॉरले-मटि सुधार, 1909
- (b) मॉटेग्यू-चेम्सफोर्ड अधनियिम, 1919
- (c) भारत सरकार अधनियिम, 1935
- (d) भारतीय स्वतंत्रता अधनियिम, 1947

उत्तर: (c)

**??????**

प्रश्न: स्वतंत्र भारत के लयि संवधान का मसौदा केवल तीन वर्ष में तैयार करने के एतहिसकि कार्य को पूरण करना संवधान सभा के लयि कठनि होता, यद उनके पास भारत सरकार अधनियिम, 1935 से प्राप्त अनुभव नहीं होता। चर्चा कीजयि। (2015)

प्रश्न: नजिता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम नरिणय के आलोक में मौलिक अधिकारों के दायरे की जाँच कीजयि। (2017)

प्रश्न: यदयपि परसिंघीय सदिधांत हमारे संवधान में प्रबल है और वह सदिधांत संवधान के आधारकि अभलिकषणों में से एक है, परंतु यह भी इतना ही सत्य है कि भारतीय संवधान के अधीन परसिंघवाद (फैडरलजिम्) सशक्त केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। यह एक ऐसा लक्षण है जो प्रबल परसिंघवाद की संकल्पना के वरिध में है। चर्चा कीजयि। (2014)